दिनांक 23.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 25/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना इलिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.03.2023 को थाना इलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खखड़ा नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त मक्खू उर्फ धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली पर पंजीकृत अभियोग धारा 386/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इलिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मक्खू उर्फ धर्मेन्द्र निवासी ग्राम सरैया थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना मरदह

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 54,000 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.03.2023 को थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–अंजलेश 2–अरविन्द को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जेधनिशादेही से लूट के 54,000 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.03.2023 को थाना मरदह क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मरदह पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अंजलेश के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मरदह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंजलेश निवासी कछुवरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

2–अरविन्द निवासी नरवर थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लूट के 54,000 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद मऊ/थाना कोपागंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.03.2023 को थाना कोपागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फिरोजपुर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–आयुष 2–तुषार 3–रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जेधनिशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोपागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आयुष निवासी भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2—तुषार निवासी सेन्दुराईच थाना कोपागंज जनपद मऊ।

3—रवि कुमार निवासी पच्चिस्ता निबही थाना चिरैयाकोट।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना खुदागंज</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 84 लाख रूपये कीमत के 210 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनॉकः 23.03.2023 को थाना खुदागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—रामौतार 2—डोरीलाल 3—हरिओम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 84 लाख रूपये कीमत के 210 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रामौतार निवासी ग्राम फतेहपुर थाना अल्हागंज जनपद शाहजहॉपुर।

2—डोरीलाल निवासी सरैया साधो थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

3—हरिओम निवासी ग्राम गोहनिया चिडिया धरा थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 84 लाख रूपये कीमत के 210 ग्राम अवैध स्मैक।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनॉकः 23.03.2023 को थाना सेक्टर–63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिलायन्स पेट्रोल पम्प के पास सर्विस रोड से 02 अभियुक्तों 1–विशाल 2–अकरम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 35 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल निवासी गली नं0–1 प्रोफेसर कालोनी थाना कोतवाली जनपद बदायूं।

2–अकरम निवासी मानवसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली।

बरामदगी

1–35 किलोग्राम अवैध गांजा।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना करारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–7 (पॉक्सो एक्ट) जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(1) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 सश्रम कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304ध्34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कासिम 2–हासिम को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20–20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 12 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम) बरामद।

दिनांक 22–03–2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थ (अफीम) की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम) (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– संजय यादव पुत्र वीरपाल यादव निवासी सरायकोटिया थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

2– मक्खन लाल पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी विनोवानगर खजुरिया थाना हजारा जनपद पीलीभीत हाल निवासी खजुरिया थाना संपूर्णानगर जनपद लखीमपुरखीरी।

बरामदगीः–

1– 12 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (अफीम) (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख़ रूपये)

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद आधार कार्ड

4– 01 अदद पैन कार्ड

5– 02 अदद स्कूटी

6– 05 कि0ग्राम गैस सिलेण्डर

7– रू0 04,53,000/–नगद

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 22–03–2023 समय 21:25 बजे चित्तेपुर नवदिया तिराहे से 50 मीटर दूरी पर चित्तेपुर नवदिया को जाने वाले रास्ते पर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक मदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तराष्ट्रीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं

कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा एस0टी0एफ लखनऊ द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक–22.03.2023 को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 02 व्यक्ति जनपद षाहजहांपुर के थाना बण्डा क्षेत्र अर्न्तगत बण्डा–पुवायां मुख्य मार्ग से चित्तेपुर नवदिया तिराहे पर अलग–अलग स्कूटी से मौजूद है, जिनके पास अवैध सन्दिग्ध वस्तुयें हैं। इस सूचना पर निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा मय एस0टी0एफ0 टीम के जनपद शाहजहांपुर की एस0ओ0जी0 टीम को अवगत कराते हुये साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर आवश्यक घेराबंदी कर अभियुक्त संजय कुमार व मक्खन लाल उपरोक्त को मय उपरोक्त बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने परिचित विजय कुमार जो धनगढ़ी, नेपाल में रहता है, उससे अफीम मक्खन लाल के माध्यम से मंगवाता है तथा उसे अपने पार्टनर सद्दाम जो बरेली में रहता है, उसको देकर रूपया मक्खन के माध्यम से विजय के पास भिजवा देता है। आज उसके पास से जो रू0 4,53,000/– मिले हैं, वह पिछली बार मक्खन द्वारा लायी गयी एवं मेरे द्वारा बिक्री की गयी अफीम के हैं, जिसे मक्खन के माध्यम से विजय के पास पहुंचाता। गिरफ्तार अभियुक्त मक्खन ने बताया कि विजय कुमार के माध्यम से उसका परिचय संजय यादव से हुआ था। संजय जब माल के लिये कहता है, तब विजय माल तैयार करता है और वह छोटे गैस सिलेण्डर में नीचे का पेंदा काट कर उसमें तैयार पैक की हुयी अफीम भरकर पैक करके अपने एक व्यक्ति थारू जो नेपाल का रहने वाला है, उससे इण्डिया के बार्डर पर भेज देता है और मुझे फोन से बता देता है। मैं जाकर माल ले लेता हूं। उसके बाद माल को स्कूटी से ले जाकर संजय को उसके उसके बताये स्थान पर देता हूं। माल के एवज में जो रूपया संजय उसे देता है, उसे सही सलामत ले जाकर विजय तक पहंचा देता है। इस काम का उसे एक हजार रूपये प्रति किलों की दर से मिलता

है। आज यह माल स्कूटी के पायदान पर गैस सिलेण्डर में लेकर आया था, गैस सिलेण्डर की वजह से किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ और संजय से फोन पर बातचीत करके पुवांया बण्डा रोड पर आया और तयशुदा समय पर संजय भी आ गया था। हम लोग आपस में माल व रूपये का लेनदेन कर रहे थे कि पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर में मु0अ0सं0 175/23 धारा 8/22 एनडीपीएस ऐक्ट पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी भाराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अशोक लेलैण्ड ट्रक में रखे 66 पेटी (792 बोतल 750 एमएल) अवैध अंग्रेजी भाराब।

दिनांक 22—03—2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 66 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (**792 बोतल 750 एमएल**)सहित **अशोक लेलैण्ड ट्रक** बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1— तिलक राम पुत्र स्व0 चतर सिंह निवासी 116, गली नम्बर 01, थाना लालकोठी जनपद मेरठ उम्र 55 वर्ष।

2— राजीव चावला पुत्र स्व0 अविनाश चावला निवासी सी—183, शास्त्री नगर, थाना मेडिकल जनपद मेरठ उम्र 57 वर्ष।

बरामदगीः-

1— 66 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (**792 बोतल 750 एमएल**)

2— 01 अदद **अशोक लेलैण्ड ट्रक**।

3— 03 अदद फर्जी नम्बर प्लेट।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

5— 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

6— नकद 1100/— रूपये।

7— 03 अदद मोबाइल।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

इन्दौराबाग मोड, बक्शी का तालाब, थाना बीकेटी जनपद लखनऊ। दिनांक 22.03. 2023 समय 19:15 बजे।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तरप्रदेश व बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 22—03—2023 को एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा आपराधिक अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा पंजाब प्रान्त के चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु सीतापुर के रास्ते बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुॅची। वहॉ पर इन्दौराबाग मोड के पास सड़क के किनारे दो व्यक्ति अशोक लेलैण्ड ट्रक का नम्बर प्लेट बदल रहे थे। जिस पर आबकारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार के सहयोग से चेक किया गया, तो उक्त ट्रक में अन्दर बनी कैविटी में अवैध अंग्रेजी शराब छिपायी गयी थी, जिस पर उक्त ट्रक पर लदी अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर 02 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त तिलकराम द्वारा बताया गया कि यह शराब जीरकपुर चंडीगढ से लेकर बिहार देने के लिए जा रहा था। इसके पूर्व में भी वह उत्तराखण्ड के देहरादून में अवैध शराब लेकर गया था। वह चण्डीगढ में प्रति पेटी 1100 रूपये की दर से खरीदता है और 2500 रू0 प्रति पेटी के हिसाब से उत्तराखण्ड, बिहार

और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में सप्लाई करता है। शराब तस्करी में प्रयोग किये जाने वाली गाडी में कैविटी बनवा रखा है, उसी में छिपा कर सप्लाई करता है। इसके पूर्व लगभग दस साल पहले थाना नौचन्दी जनपद मेरठ में चोरी की गाडी खरीदने में मामले में पुलिस ने जेल भेजा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना बीकेटी, जनपद–लखनऊ में दाखिल करके मु0अ0सं0 72/2023 धारा 419/420 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———–